अवमाननावाद सुनवाई दिनांक-17.02.2017

संख्या-16/2017/आर-409/26-3-2017-69(रिट)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-6850/2014 तपन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अवमानना याचिका संख्या-1570(सी)/2016 तपन कुमार बनाम श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-17.01.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-5378-79/सक/शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-15.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मूल रिट याचिका संख्या-6850(एम.बी.)/2014 तपन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-12.01.2016 एवं कनेक्ट रिट याचिका संख्या-3903(एम.बी.)2014 अनुपम वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-29.05.2015 के अनुपालन में एवं उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन याची छात्र श्री तपन कुमार को कामर्शियल पायलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त **रूपया-1.80 लाख (रूपया एक लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि (जो यद्यपि दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के अनुसार हास्टल एवं मेस चार्ज देय नही है) को विशेष परिस्थितियों में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके निदेशालय के निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0 संख्या-16/2017/आर-409(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in